अ0शा0 डीजी-परिपत्र संख्या 21 /2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः अप्रैल 04 ,2014

विषयः- मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस एक्ट-1985) की धारा 68 एफ(1) के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती अथवा जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

एनडीपीएस एक्ट 1985की धारा 68 F(1) के अंतर्गत अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती अथवा जमा किये जाने के आदेश निर्गत किये जाते हैं। इस आदेश की एक प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी को पुष्टि हेतु भेजी जाती है।

धारा 68 E एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत जांच या विवेचना के दौरान यदि विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का पर्याप्त आधार है कि जिस सम्पत्ति के बारे में वह जांच कर रहा है वह अवैध रूप से अर्जित हैं, को धारा 68 Fएनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जब्त/जमा आदेश निर्गत किया जाता है। जांच /विवेचनाधिकारी को स्पष्ट रूप से यह अभिलिखित करना होगा कि उसके पास यह निष्कर्ष निकालने के क्या आधार हैं।

धारा 68 F(1) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जब जब्ती/जमा आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश की प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को 48 घण्टे के अंदर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तदोपरान्त धारा 68 F(2) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत उस जब्ती/जमानत आदेश की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करने के 30 दिवस के अंदर की जानी होती है। पुष्टि आदेश से पूर्व सक्षम प्राधिकारी अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के कथित स्वामी को नोटिस निर्गत करता है ताकि उसे अपनी संबंधित सम्पत्ति के बारे में अपना मत देने हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकतर प्रकरण में जब्त/जमा आदेश 48 घण्टे के अंदर सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त नही हो रहे है और जांच एवं विवेचनाधिकारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के बारे में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नही किये जा रहे हैं।अतः सक्षम प्राधिकारी को धारा 68 F(1) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत पारित आदेश की पुष्टि करने में समस्या आती है।

यह संभव है कि जांच/विवेचनाधिकारी जब्त/जमा आदेश को जल्द निर्गत करने का प्रयास करते हैं, ताकि संबंधित व्यक्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का निस्तारण न कर दें। तब भी यह आवश्यक है कि ऐसे आदेश निर्गत करने से पूर्व सम्पत्ति के बारे में मूल विवरण एकत्र कर लिये जायें ताकि सक्षम प्राधिकारी को आदेश की पुष्टि करने में दिक्कत न हो।

उपरोक्त स्थिति में आवश्यक है कि अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती/जमा के आदेश निर्गत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायः-

(i) जब्त की जाने वाली सम्पत्ति के स्वामित्व के पूर्ण विवरण उल्लेख जैसे-स्वामी का नाम, सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, सम्पत्ति का पता, अर्जित करने की तारीख, अनुमानित मूल्य, आदि।

(ii) जब्ती किये जाने वाली सम्पत्ति यदि कोई मोटर वाहन है तो उसके पंजीकरण के अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न की जाये।

(iii) जब्त किये जाने वाली सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य।

(iv) प्रतिबंधित मादक पदार्थ के बरामदगी के सटीक स्थान का विवरण तथा उस व्यक्ति, जिसके कब्जे से उक्त पदार्थ बरामद हुआ है, का नाम पते का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(v) एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 धारा-68F (1) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक आदेश कीसूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जायेगी और आदेश जारी करने के 48 घंटे में उसकी एक प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को प्राप्त कराई जायेगी। सक्षम प्राधिकारी का पता निम्नलिखित हैः-

सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक,
तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक सम्पत्ति सम्पहरण अधिनियम 1976 एवं
स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985,
बी विंग, नवीं मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003
फैक्स 011-24616379 दूरभाष 011- 24616379

(vi) जब्ती के आदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट का नम्बर एवं दिनॉक स्पष्ट रूप से उल्लिखित किये जायें।

(vii) अधिनियम की उस सुसंगत धारा का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिसके तहत प्रभावित व्यक्ति का चालान/आरोपित किया गया है।

(viii) आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि सम्पत्ति जब्त की गयी है या जमा की गयी है।

(ix) जब्त की गयी या जमा की गयी सम्पत्ति के आदेश की प्रतिलिपि सम्बंधित व्यक्ति/संस्था को दी जानी चाहिए और जब्ती या जमा किये जाने वाले आदेश में समस्त प्रभावित व्यक्ति/सम्पत्ति से संबंधित संस्था के पते का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(x) यदि जब्ती या जमा की गयी सम्पत्ति चल सम्पत्ति है तो उस सम्पत्ति के नियंत्रक अधिकारी को जब्ती आदेश अवश्य भेजा जाय जैसे-यदि जब्त किया जाने वाला बैंकखाता है तो उस बैंक को,यदि वाहन है तो सम्भागीय परिवहन अधिकारी को सूचना दी जाये।

(xi) यदि जब्त या जमा किये जाने वाली सम्पत्ति अचल सम्पत्ति है तो जब्ती व जमा किये जाने वाले आदेश की प्रति संबंधित जिले के जिलाधिकारी व निबंधक/उपनिबंधक को दी जाये।

3. उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधान आज्ञापक एवं बाध्यकारी हैं। इनके अनुपालन में तनिक भी त्रुटि न हो तथा समय से अनुपालन किया जाए।

4. मैं चाहूंगा कि **मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस एक्ट-1985) की धारा 68F (1) के अंतर्गत अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती एवं जमा किये जाने के सम्बन्ध में** निर्गत निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संज्ञानित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी) 04/04/17

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
जनपदीय प्रभारी,उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक /समस्त परिक्षेत्रीय पुलिसउप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी एण्टी नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जोनल डायरेक्टर, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, लखनऊ, बी-912, सेक्टर-ए, सी0आई0डी0 कालोनी, महानगर लखनऊ।